39

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/144 17/1777 दिनांकः– 19/06/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, बिक्रम के 05.03.10 (स्थापना वर्ष) से 2012-13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 598/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत, बिक्रम
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 598/2013–14
अवधि– 2012–13

1. **प्रस्तावना**

नगर पंचायत, बिक्रम के 05.03.10 (स्थापना वर्ष) से 2012–13 के लेखाओं की नमुना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.06.13 से 15.06.13 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासन**

कार्यपालक पदाधिकारी

क्र.सं.	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार सिन्हा	01.04.10 से 31.03.13

मुख्य पार्षद

1	श्री सुनील कुमार	05.03.10 से 31.03.13

उप मुख्य पार्षद्

1	श्रीमति रूबी देवी	05.03.10 से 31.03.13

3. **लेखापरीक्षा का क्षेत्र**

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –। तथा लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–।। में दी गयी है।

4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

नगर पंचायत, बिक्रम का यह प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है।

5. **प्रमुख लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ**

क्र.सं.	कंडिका सं.	विवरण
1	10	13वी वित्त मद के अनुदान राशि का विचलन–रू. 725714.00
3	12	संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क का बकाया राशि–रू. 334800.00
4	14	स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से राजस्व क्षति–रू. 37783.00
6	15	प्रशिक्षण मद की राशि का लेखा जोखा नहीं–रू. 1182000.00
7	16	बी0आर0जी0एफ मद में अनियमितताएं–रू. 497562.00
8	17	अनियमित रूप से योजना का कार्यान्वयन–रू. 2096624.00

9	18	अधिक भुगतान (बी0आर0जी0एफ) :– रू.100000.00
10	19	सी0एफ0एल भेपर लाइटों के क्रय में अनियमितताएं–रू. 898772.00
11	20	विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं–रू. 173450.00
12	21	वैट की कम कटौती–रू. 114903.00
13	23	श्रम उपकर की कटौती नहीं:–रू. 52037.00
14	24	दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय–रू. 21060.00

6. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नगर पंचायत लेखा के आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, परन्तु बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 30 तथा 36 एवं रिकवरी ऑफ टैक्स नियमावली के नियम 37 एवं 39 आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आंतरिक जाँच के प्रावधान हैं। नियमावली में दी गयी जाँच प्रक्रिया का उद्धेश्य लेखापरीक्षा के समुचित संधारण तथा समन्वयन के साथ– साथ त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का निराकरण करना है।

नगर पंचायत के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त नियमावली में वर्णित जाँच नहीं की गयी, जिसके कारण अनेक अनियमितताएँ पायी गयी। इनकी विवेचना आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

निष्चित अन्तराल पर, अगर नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जाँच प्रक्रिया अपनायी गयी होती तो लेखापरीक्षा के क्रम में पायी गयी त्रुटियाँ नहीं होती।

अतः नगर पंचायत प्रषासन से यह अनुरोध है कि आंतरिक जाँच प्रक्रिया का पालन नियमित रूप से किया जाय ताकि भविष्य में अनियमितता/त्रुटियों का पुनरावृति न हो।

7. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, बिक्रम के द्वारा प्रस्तुत किये गये सहायक रोकड़ बहियों के अनुसार दिनांक 05.03.10 से 2012–13 तक का आय– व्यय विवरणी निम्न प्रकार से है:–

(क) बी0आर0जी0एफ0

क्र0सं0	विवरणी	2010–11	2011–12	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य	681.00	273.00
2	प्राप्ति			
(क)	अनुदान	269931.00	शुन्य	743138.00
(ख)	ब्याज	681.00	21.00	13265.00
(ग)	अन्य	शुन्य	शुन्य	30509.00

वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		270612.00	21.00	786912.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	270612.00	702.00	787185.00
4	व्यय			
(क)	योजना	शुन्य	शुन्य	467053.00
(ख)	अन्य	269931.00(वापसी)	429.00	30543.00
कुल व्यय(क)+(ख)		269931.00	429.00	497596.00
अन्तशेष 5(3)–(4)		681.00	273.00	289589.00

(ख) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

क्र0सं0	विवरणी	2011–12	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य	5645231.00
2	प्राप्ति		
(क)	अनुदान	5645231.00	6450087.00
(ख)	ब्याज	शुन्य	शुन्य
(ग)	अन्य	शुन्य	156051.00
वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		5645231.00	6606138.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	5645231.00	12251369.00
4	व्यय		
(क)	योजना	शुन्य	3130262.00
(ख)	अन्य	शुन्य	156051.00
कुल व्यय(क)+(ख)		शुन्य	3286313.00
अन्तशेष 5(3)–(4)		5645231.00	8965056.00

(ग) 13वीं वित्त

क्र0सं0	विवरणी	2010–11	2011–12	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य	953891.00	1195137.00
2	प्राप्ति			
(क)	अनुदान	950714.00	2521957.00	1878000.00
(ख)	ब्याज	3221.00	शुन्य	21602.00
(ग)	अन्य	शुन्य	18051.00	84717.00
वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		953935.00	2540008.00	1984319.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	953935.00	3493899.00	3179456.00
4	व्यय			
(क)	योजना	शुन्य	2263102.00	2653861.00
(ख)	अन्य	44.00	35660.00	84717.00
कुल व्यय(क)+(ख)		44.00	2298762.00	2738578.00
अन्तशेष 5(3)–(4)		953891.00	1195137.00	440878.00

(घ) एस.जी.एस.आर.वाई

क्र0सं0	विवरणी	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्ति	
(क)	अनुदान	3000000.00
(ख)	ब्याज	शुन्य
(ग)	अन्य	शुन्य
वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		3000000.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	3000000.00
4	व्यय	
(क)	योजना	1182000.00
(ख)	अन्य	650.00
कुल व्यय(क)+(ख)		1182650.00
अन्तशेष 5(3)–(4)		1817350.00

(ड़) नागरिक सुविधा

क्र0सं0	विवरणी	2012–13
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्ति	
(क)	अनुदान	3000000.00
(ख)	ब्याज	शुन्य
(ग)	अन्य	शुन्य
वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		3000000.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	3000000.00
4	व्यय	
(क)	योजना	शुन्य
(ख)	शुन्य	शुन्य
कुल व्यय(क)+(ख)		शुन्य
अन्तशेष 5(3)–(4)		3000000.00

(च) आंतरिक संसाधन

क्र0सं0	विवरणी	2010–11
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्ति	166100.00
वर्ष की प्राप्ति(क)+(ख)+(ग)		166100.00
3 (1+2)	कुल प्राप्ति	166100.00
4	व्यय	154835.00
अन्तशेष 5(3)–(4)		11265.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. 13वीं वित्त मद के लिए एक से अधिक बैंक खातों यथा पी0एन0बी खाता सं0. 0593000100530897, केनरा बैंक खाता सं0. 0287101020554 एवं कोषागार खाता सं0. पी0एल0ए0– 191 से संव्यवहार हो रहा था, जो कि सरकार के किसी एक सरकारी बैंक में बचत खाता रखने के दिषा निर्देष के विरूद्ध था। अतः सरकार के नये दिशा निर्देशानुसार सिर्फ पी0एन0बी0 के खातों के अलावा अन्य खातों को तत्काल बंद कर इनके अवशेष राशि को पी0एन0बी0 के खाता में स्थानान्तरित किया जाय।
2. आंतरिक संसाधन के भी दो बैंक खातों क्रमशः बैक ऑफ इण्डिया एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से संव्यवहार हो रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता चालू खाता था। अतः चालु खाता को तत्काल बंद कर बचत खाता किसी एक सरकारी बैंक में रखा जाय।
3. आंतरिक संसाधन रोकड़ बही वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का संधारण नहीं किया गया था। रोकड़ बही के वर्ष 2010–11 की अन्तशेष रू.11265.00 थी जबकि बैंक खाता बैंक ऑफ इण्डिया बचत खाता सं0. 441710110002565 का अन्तशेष रू. 61757.00 था। अतः इसका बैंक समाधान विवरणी तैयार किया जाय।
4. आंतरिक संसाधन बैंक खातों के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में निम्नलिखित जमा व निकासी हुई थीः

34

क. बैंक ऑफ इण्डिया बचत खाता सं0. 441710110002565

दिनांक	निकासी	जमा	अभियुक्ति
17.05.11	24500.00	---	बैंक पासबुक दिनांक 03.02.12 तक ही अद्यतन था।
12.07.11	400.00	---	
02.08.11	---	891.00	
12.08.11	1912.00	---	
03.02.12	---	242.00	

प्रारम्भिक शेष (01.04.11):– रू.61757.00

जमा :– रू.1133.00

योग :–रू. 62890.00

निकासी :–रू. 26812.00

अन्तशेष :–रू. 36078.00

ख. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया चालु खाता सं0. 31562199561

वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13
प्रारम्भिक शेष– रू.111611.00	प्रारम्भिक शेष–रू.114861.00
जमा– रू.245180.00	जमा–रू.4315666.00
योग– रू.356791.00	योग–रू.4430527.00
निकासी– रू.241930.00	निकासी–रू.3772283.00
अन्तशेष –रू.114861.00	अन्तशेष–रू.658244.00

5. सभी मदों के रोकड़ बही में व्यय भाग में योजना सं0, अभिश्रव सं0 एवं चेक सं0 के साथ– साथ मद का शीर्ष का उल्लेख नहीं था।

6. पी0एल0 खाता रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण पी0एल0 खाता से संबंधित आय व्यय का सत्यापित नहीं किया जा सका। यद्यपि पी0एल0 खाता (पी0एल0ए0– 191) का अन्त शेष 31.03.13 का रू. 1236552.00 लेकिन कोषागार खाता पर कोषागार अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था।

7. बैंक समाधान विवरणी

सहायक रोकड़ बहियों एवं बैंक खाता/कोषागार खाता का अन्तशेष दिनांक 31.03.13 को निम्न प्रकार से था:–

क्र. सं.	सहायक रोकड. बही	बैंक एवं खाता सं.	अंतिम संधारित तिथि तक रोकड. बही का अन्तशेष	बैंक /कोषागार खाता का अन्तशेष(31.03.13)	अन्तर
1	बी.आर.जी.एफ	केनरा बैंक–0287101020553	289589.00 31.03.13	289589.00 31.03.13	शुन्य
2	एस.जे.एस.आर. वाई	एस.बी.आई–32720966455	1817350.00 31.03.13	1817350.00	शुन्य
5	चतुर्थ राज्य वित्त	कोषागार खाता–पी0एलए0–191	8965056.00 31.03.13	1236552.00	अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता
6	नागरिक सुविधा		3000000.00		अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता
7	13वीं वित्त	कोषागार खाता–पी0एलए0–191	440878.00.00		ज्ञात नहीं
		पी.एन.बी. –593000100530897		21756.00	अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता
		केनरा बैंक–0287101020554		26574.00	अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता
8	आंतरिक संसाधन	बैंक ऑफ इण्डिया–441710110002565	11265.00 2010–11	12143.00 03.02.12	अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता
		एस.बी.आई–31562199561 चालु खाता		658244.00 31.03.13	अन्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता

8 वर्ष के अन्त में शीर्षवार आय – व्यय विवरणी (मासिक एवं वार्षिक) नहीं बनाया गया।

9 बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

10 वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था।

11 एक से अधिक मदों का संव्यवहार संयुक्त रूप से एक ही बैंक खातों /कोषागार खाता से किया जा रहा था। परिणामास्वपरूप मदवार बैंक का अन्त शेष ज्ञात नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत के द्वारा जवाव दिया गया कि सुझाव के तौर पर दिये गये आपत्तियों का निराकरण कर आगे लेखापरीक्षा में दिखा दिया जायेगा। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी अंकेक्षण टिप्पणियों/आपत्तियों का बिन्दुवार अनुपालन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

8. वार्षिक लेखा तथा वजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, बिक्रम द्वारा, बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 के नियम 82 से 84 के तहत, वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए मदवार प्राप्तियों एंव मासिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने से शीर्षवार आय एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

(32)

पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 84 के अनुसार उसे सषक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं समिति उसमें यथोचित संषोधन कर सकेगी। 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवष्यक समझे। नगर पंचायत के मामलें में स्वीकृत बजट को उप निदेशक लोकल फंड को भेजा जाएगा जिसे वह 31 मार्च तक वापस कर सकेगा।

नगर पंचायत तथा समय– समय पर सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार वगैर बजट प्रावधान के किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। बगैर बजट प्रावधान के उक्त वर्षों में किए गए व्यय को अप्राधिकृत व्यय माना जाएगा। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष मार्च 2010 से 2012–13 के दौरान किया गया संपूर्ण व्यय अप्राधिकृत हो गया।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाव दिया गया कि आगे के वर्षों में बजट बनाया जायेगा।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय– समय पर जारी किया गया दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष मदवार प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक, त्रैमासिक व मासिक लेखा तथा बजट प्राक्कलन तैयार करवाने की दिशा में उचित व प्रभावी कदम उठाया जाय।

9. सरकारी अनुदान

यद्यपि नगर पंचायत के द्वारा अनुदान पंजी एवं आवंटन पंजी का संधारण नहीं किया गया था फिर भी प्रस्तुत किये गये मदों के सहायक रोकड़ बहियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक कुल रू. 24189127.00 का अनुदान/आवंटन विभिन्न मदों के अंतर्गत सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसमें से रू. 10003171.00 का व्यय विभिन्न योजनाओं पर किया गया था तथा दिनांक 31.03.13 तक कुल रूपये 14185956.00 नगर पंचायत के निधि में अवशेष था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. चतुर्थ राज्य वित्त के कुल प्राप्त अनुदानों में से वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक व्यय का प्रतिशत 27.17 था जो कि काफी कम था। अतः इसका अवरोधन 31.03.13 तक रू. 8809005.00 थी जो यह दर्शाता है कि अनुदानों के उस उददेश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया था।

2. एस.जी.एस.आर.वाई में भी व्यय का प्रतिशत मात्र 39.4 प्रतिशत थी जो कि काफी कम था तथा अधिकांश भाग अर्थात रू. 1818000.00 (दिनांक 31.03.13) अवरूद्ध रखा गया था।
वर्ष 2013–14 में अनुदान की राशि को खर्च कर ली जायेगी। अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जबाव दिया गया कि वर्ष 2013–14 में अनुदान की राशि खर्च कर ली जाएगी।

अतः अनुदान एवं आवंटन पंजी का उचित रूप से संधारण कर एवं प्राप्त अनुदानों में से किये गये व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

10. तेरहवीं वित्त मद की अनुदान राशि का विचलन –रू. 07.26 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 5/ब0 13वीं वित्त 3–01/10 –95/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 17.08.10) द्वारा तेरहवीं मद की राषि के प्रयोग हेतु कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे जिसके तहत अनुदान राशि का व्यय निम्नवत किया जाएगा।

1. कम से कम 50 प्रतिशत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन
2. पाईप जलापूर्ति व्यवस्था
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था/विद्युत विपत्र का भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख– रखाव

नगर पंचायत, बिक्रम के दिनांक 05.03.10 से 2012–13 तक के 13वीं वित्त मद से संबंधित योजना अभिलेख एवं योजना पंजी के नमुना जांच में पाया गया कि उपर्युक्त दिशानिर्देश के विरूद्ध उक्त वर्षों में सड़कों (पी0सी0सी0) के निर्माण कार्य से संबंधित योजना ली गई थी, विवरणी इस प्रकार है–

क्र. सं.	योजना सं.	योजना का नाम	प्राक्कलन	मापी राशि	संवेदक का नाम	संवेदक को शुद्ध भुगतान	योजना में कुल व्यय
1	07/11–12	एन.एच 98 से पुरानी भटटी तक पी.सी.सी कार्य	260000.00	259942.00	जय माता दी डेवलपर्स एण्ड इंजीकॉम प्रा0 लि0	244828.00	259942.00
2	14/11–12	विजय ठाकुर घर से मेन नहर तक पी.सी.सी कार्य	465800.00	465772.00	जय माता दी डेवलपर्स एण्ड इंजीकॉम प्रा0 लि0	438333.00	465772.00
योग			841299.00	725714.00		683161.00	725714.00

इस प्रकार मार्गनिर्देर्शिका के विपरीत योजना का चयन एवं उसका कियान्वयन कर अनुदान राशि रू. 725714.00 का विचलन किया गया था।
अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि इस मद के अनुदान राशि के विचलन की भरपाई कर दी जाएगी।

130

अतः इस मद के अनुदान की विचलित राशि रू. 725714.00 की यथाशीघ्र भरपाई की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तथा भरपाई की जाने तक इस राशि को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

11. विभिन्न प्रकार के करों/शुल्कों का अधिरोपण नहीं

नगर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने हेतु राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न धाराओं/उपबंधों के अधीन नगर निकायों को विभिन्न प्रकार के करों/शुल्कों को वसूलने की शक्ति प्रदान की है, निम्न है:–

127:– विज्ञापन कर, होल्डिंग कर, तीर्थयात्री कर, सभा कर, मनोरंजन कर अधिभार इत्यादि

129:– शुल्क एवं जुर्माना लगाने की शक्ति

130:– कर अथवा शुल्क पर उपकर लगाने की शक्ति

147:– विज्ञापन पर कर

153:– पुलों पर कर

342:– गैर आवासीय प्रयोजनों/नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के व्यवसाय पर अनुज्ञप्ति शुल्क निर्धारित करने की शक्ति (जैसे बैंकिग, लोहार, दवा का खुदरा या थोक गैरेज, ईंट निर्माण, होटल, लकड़ी का व्यवसाय, स्वर्णकारी, हाट बाजार आदि)

नगर पंचायत बिक्रम का गठन 05.03.10 में हुआ था लगभग 04 वर्षों बीत जाने के वाबजूद नगर पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के करों/शुल्कों/अधिभारों का अधिरोपण नहीं किया गया है जिसके कारण बहुत बड़ी राजस्व की क्षति कार्यालय को लगातार हो रही थी। इस संबंध में नगर पंचायत के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि बोर्ड की बैठक में रखकर आगे करों का अधिरोपण किया जाएगा।

अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सुझाव दिया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय– समय पर जारी किया गया दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्तवर्णित करों/शुल्कों/अधिभार को सख्ती से लागु किये जाने हेतु उचित व प्रभावी कदम उठाया जाय।

12. संचार (मोबाइल) टावरों का पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि–रू. 3.35 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को

अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के अधीन अधिरोपित समस्त टावर पंजीकरण तथा नवीनीकरण फीस के बकाया को सम्पत्ति कर का बकाया माना जाएगा तथा उसकी वसूली उस रूप में बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 158 के अधीन नगरपालिका द्वारा बनाई गई विनियमावली के अधीन होगी।

संचार नियमावली 2012 की कंडिका 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क रू. 30000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क रू.8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है। 05 वर्षों की नवीनीकरण फीस एकमुश्त जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी साथ ही नवीनीकरण शुल्क में प्रत्येक 05 वर्ष बाद 25 प्रतिषत की वृद्धि की जाएगी।

एक ही टावर पर अतिरिक्त एंटिना लगाने पर पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क का 60 प्रतिषत अतिरिक्त चार्ज वसूलनीय होगा।

कंडिका 6(2) के अनुसार, उपयुर्क्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपर्युक्त वर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर निकाय द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी एवं संबंधित अभिलेखों के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 07 मोबाइल टावर जिसमें आईडिया टावर पर वोडाफोन का एवं एयरटेल पर एयरसेल का अतिरिक्त एंटिना लगाया गया था। विभिन्न कम्पनियों की भिन्न– भिन्न वर्षों में उक्त अधिसूचना जारी के पूर्व में अधिस्थापित किये गये थे, जो उपर्युक्त नियमावली के अनुसार नगर निकाय से अपंजीकृत थे, दिनांक 31.03.13 तक कुल रू. 334800.00 लाख पंजीकरण एवं नवीनीकरण के रूप में बकाया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर)

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में नगर पंचायत द्वारा जवाव दिया गया कि संबंधित कंपनी को नोटिस निर्गत कर वसूली की कार्यवाई की जायेगी।

अतः बकाया राशि रू. 334800.00 मोबाइल टावर मालिकों से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13. सुरक्षित जमा का गलत निर्धारण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 09/सं0–7 प0च0–7/2001–668(9.) दि/रा0 दिनांक 01.08.02 में सुरक्षित जमा के निर्धारण के संबंध में बताया गया हैकिः–

सुरक्षित जमा का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा जिसमें गत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि/बंदोवस्ती की राषि दोनों में जो अधिक हों उसमें से 15 प्रतिशत बढोतरी कर सुरक्षित जमा का निर्धारण किया जाएगा।

हाट बाजार सैरात के पूर्व के तीन वर्ष (2010–11, 2011–12, 2012–13) के बाद वर्ष 2013–14 में सुरक्षित जमा का निर्धारण पुनः किया जाना चाहिए था। गत वर्ष अर्थात वर्ष 2012–13 में सुरक्षित जमा

128

रू. 301000.00 के विरूद्ध बंदोवस्ती श्री उमेष कुमार (पिता स्व0 शंतु सिंह, गोविन्दपुर बिक्रम) के साथ रू. 480000.00 में की गई।

वर्ष 2013–14 में सुरक्षित जमा का निर्धारण गत वर्ष की बंदोवस्ती राषि (जो सुरक्षित जमा से अधिक थी) रू. 480000.00 में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी अर्थात रू. 552000.00 (रू. 480000 + 480000 का 15 प्रतिशत) में होनी चाहिए थी जबकि सुरक्षित जमा की राशि रू. 301000.00 मात्र निर्धारित की गई। इस प्रकार सुरक्षित जमा का गलत निर्धारण किया गया। सुरक्षित जमा की राशि से ही वंदोवस्ती हेतु बोली प्रारंभ होती है। यद्यपि वर्ष 2013–14 में बंदोवस्ती रू. 690000.00 में हुई थी लेकिन सुरक्षित जमा रू 552000.00 रखे जाने पर बंदोवस्ती की राशि में बढोतरी हो सकती थी।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

अतः सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि सैरातों का बन्दोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा का निर्धारण उपर्युक्तवर्णित तरीके से करना सुनिष्चित किया जाय।

14. स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति– रू. 0.38 लाख

इंडियन रजिस्ट्रेषन एक्ट 1908 की धारा 17 (1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती रजिस्टर्ड होना चाहिए।

मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के निर्देश के आलोक में किसी प्रकार की बंदोबस्ती का एकरारनामा स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए जिसका मूल्य बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत के बराबर होगा।

नगर पंचायत, बिक्रम के वर्ष 2010–11 सें 2012–13 तक के सैरातों के बंदोबस्ती संबंधित अभिलेख के नमूना जांच में पाया गया कि बाजार (संपूर्ण बाजार एवं माल वाहन) की बंदोबस्ती से संबंधित एकरारनामा नहीं किया गया था।

इस प्रकार स्टाम्प पेपर पर बंदोबस्ती नहीं होने से राज्य सरकार को रू. 37783.00 राजस्व की क्षति हुई, जो निम्न हैः–

क्र. सं.	वर्ष	सुरक्षित जमा	बन्दोवस्ती राशि	बन्दोवस्तधारी का नाम	मुद्रांक शुल्क (03 प्रतिशत)
1	2010–11	150000.00	166100.00	संजय कुमार	4983.00
2	2011–12	200100.00	480000.00	कृष्णनन्दन कुमार	14400.00
3	2012–13	300100.00	480000.00	उमेश सिंह	14400.00
योग					37783.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

बिक्रम, नगर पंचायत की स्थापना 05.03.10 को हुई थी, लेकिन बाजार की बंदोबस्ती वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 18.06.10 को की गई थी। इस प्रकार अवधि 01.04.10 से 17.06.10 तक की न तो विभागीय वसूली की गई और न ही बंदोबस्ती के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। फलतः इस अवधि की राजस्व की क्षति हुई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में एकरारनामा स्टांप पेपर पर किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त स्टांप पेपर की राजस्व क्षति रू. 37783.00 एवं अवधि 01.04.10 से 17.06.10 तक की बंदोबस्ती/विभागीय वसूली नहीं होने से होने वाले राजस्व क्षति की भरपाई इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय तथा सरकार के संबंधित षीर्ष में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

15. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षण मद में संदिग्ध भुगतान– ₹11.82 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें खर्च का वहन केन्द्र एवं राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाना है। यह योजना दिनांक 01.12.97 से प्रारंभ है। इस संदर्भ में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया जो 01.04.99 से प्रभावी है। इसके लिए मुख्य पांच घटक है जिस पर व्यय किया जाना है जो इस प्रकार है:–

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम

(ख) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम

(ग) रोजगार बढाने के लिए कौषल प्रशिक्षण

(घ) शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम

(ड.) शहरी समुदाय विकास नेटवर्क

रोजगार बढाने के लिए कौषल प्रशिक्षण मद में सम्मिलित बी0पी0एल0 परिवार के लाभार्थी में 30 प्रतिशत महिला, 03 प्रतिशत विकलांग एवं 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक की संख्या होनी चाहिए।

नगर पंचायत, बिक्रम को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मद में नगर विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा 30 लाख की प्राप्ति हुई जिसे भारतीय स्टेट बैंक, बिक्रम (खाता सं0 32720966455) में दिनांक 09.02.13 को एक अन्य खाता से स्थानान्तरित किया गया। प्राप्त राशि रू.30.00 लाख में से 31 मार्च 2013 तक प्रशिक्षण मद में कुल राशि रू. 1182000.00 का व्यय किया गया, जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

क्र0सं0	चेक सं0 / दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
1	399451 / 28.02.13	220000.00	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र पटना
2	399452 / 28.02.13	455000.00	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र पटना
3	399453 / 28.02.13	416000.00	संबोधित ग्रा0 मधुबन, मुगेंर
4	399454 / 03.03.13	91000.00	संबोधित ग्रा0 मधुबन, मुगेंर
योग		1182000.00	

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 927 / न0वि0 दिनांक 06.09.12) द्वारा कार्यपालक नगर पंचायत को उक्त योजना अन्तर्गत बी0पी0एल परिवारों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु 63 संस्थाओं की सूची उपलब्ध करवाई गई जिसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था। नगर विकास विभाग द्वारा कहा गया कि समय के अभाव के कारण संलग्न 63 संस्थाओं के बारे में जांच पड़ताल नहीं की जा सकी अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व एवं एकरारनामा करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर संस्थाओं की जांच अवश्य कर लें।

1. संस्था को पूर्व में प्रशिक्षण कराने का अनुभव प्राप्त है या नहीं
2. संस्थाओं के पास वैसे प्रशिक्षक होने चाहिए जिनको संबंधित व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो
3. एजेंसी के पास पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए
4. कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्युटर होना चाहिए

इसके अलावे विभाग द्वारा कहा गया कि निकाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में व्यवसायवार पंजी संधारित करना था जिसमें आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.06.12 निर्धारित की गई। प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर पूर्णतः जांचकर एवं पूर्णतः संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर भुगतान समय पर करेगें।

नगर पंचायत द्वारा नगर विकास विभाग द्वारा दिए गए दिशानिर्देश की अवहेलना करते हुए बगैर समुचित जांच किए हुए दो संस्थाओं के साथ एकरारनामा किया गया जिसकी विवरणी दी गई।

क.सं.	एकरारनामा की तिथि	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	06.10.12	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिक्रम	सचिव संबोधित ग्रा0 मधुबन पो0 प्रसन्ना, मुंगेर
2	12.10.12	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिक्रम	जनहित संस्कृति कला केन्द्र, पटना

अंकेक्षण आपत्ति

(क) प्राप्त आवेदन से व्यवसायवार पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा किया जाना था जो नहीं किया गया।

(ख) प्रशिक्षण देने वाले संस्था के प्रशिक्षण पूर्व एवं एकरारनमा पूर्व जांच की जानी चाहिए थी जो नहीं किया गया था।

(ग) प्रशिक्षण देने वाले दोनों संस्थओां को कितने व्यक्ति एवं किस किस व्यवसाय में प्रशिक्षण देने हेतु सूची दी गई वह नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

(घ) दोनों संस्थाओं (जनहित सांस्कृतिक केन्द्र, संबोधित) के भुगतान रू. 1182000.00 का क्या आधार था उनके द्वारा न तो खर्च का मदवार विवरणी दी गई और न ही कुल प्रशिक्षणार्थी की संख्या जिसके आधार पर भुगतान किया गया।

(ड़) प्रशिक्षण के उपरांत 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मुहैया कराना था। इस संबंध में किसी प्रकार का डाटा नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

(च) प्रशिक्षण मद में कुल भुगतान की गई राशि रू. 1182000.00 से संबंधित किसी प्रकार का अभिश्रव नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

उपर्युक्त आपत्तियों का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जनहित संस्कृति कला केन्द्र का शीर्ष संबंधी आवश्यक कागजात अंकेक्षण दल को दिखा दिया गया है। व्यय से संबंधित विस्तृत अभिश्रव की मांग संस्था से की जा रही है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपर्युक्त अंकेक्षण आपत्तियों का बिन्दूवार अनुपालन किये जाने तक प्रशिक्षण मद पर किया गया व्यय रू. 1182000.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

16. बी0आर0जी0एफ मद की योजना में अनियमितताएं

योजना सं0–15/11–12

योजना का नामः– वार्ड सं0 3 में बिक्रम सार्वजनिक सुलभ शौचालय से सफी अहमद घर तक पी0सी0सी0 कार्य।

प्राक्कलित राशिः– रू. 498000.00

मापी पुस्त की राशिः–रू. 497562.00

भुगतान की गई राशिः–रू. 497562.00 (कटौती सहित)

अंकेक्षण आपत्ति

योजना के कियान्वयन हेतु विज्ञापन सं0 02/12–13 अखवार में प्रकाशित की गई (अखबार की प्रति संलग्न नहीं)। इसमें परिणाम विपत्र की बिक्री की तिथि 02.06.12 एवं निविदा प्राप्ति की तिथि 04.06.12 (02 बजे तक) तथा निविदा खोलने की तिथि 04.06.12 (संध्या 04 बजे) सुनिश्चित की गई। निविदा

डालने संबंधित प्रमाण पत्र यथा बंद लिफाफे में वित्तीय बीड एवं तकनीकी बीड संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था।

तुलनात्मक विवरणी के जांच में पाया गया कि तीनों निविदादाता (सर्वश्री रविन्द्र सिंह, श्यामदेव सिंह का जय माता दी कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 एवं मां विन्धयवासिनी) में मात्र सफल निविदादाता श्री श्यामदेव सिंह (जय माता दी प्रा0लि0) का हस्ताक्षर था। स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मात्र अध्यक्ष नगर पंचायत, बिक्रम श्री सुनील कुमार के हस्ताक्षर स्वीकृतिकर्ता के रूप में था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 21 के अन्तर्गत अन्य सदस्यों के रूप में उपाध्यक्ष एवं अन्य तीन पार्षदों का हस्ताक्षर भी स्वीकृतिकर्ता के रूप में तुलनात्मक विवरणी पर होना चाहिए था जो नहीं था। इस प्रकार निविदा की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति भी वैध नहीं था।

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड की बैठक दिनांक 04.05.12 में दी गई साथ ही तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता (योजना एवं विकास विभाग, पटना) द्वारा दिनांक 11.05.12 को दी गई।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार (ज्ञापांक 2713/न0वि0 दिनांक 18.08.05) द्वारा तकनीकी स्वीकृति की सीमा सहायक अभियंता द्वारा मात्र 01 लाख तक निर्धारित की गई। इस प्रकार तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी यानि कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं ली गई जो गलत था।

निविदा में अन्य निविदादाता श्री रवीन्द्र सिंह एवं मॉ विन्ध्यवासिनी के संवेदक का हस्ताक्षर उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र पर नहीं था।

सफल निविदादाता द्वारा 02 प्रतिशत अग्रधन के अलावा 03 प्रतिषत राशि एकरारनामा के समय सुरक्षित जमा ली जानी चाहिए। न तो सफल संवेदक से अग्रधन लेने का कोई प्रमाण पत्र संचिका में संलग्न था और न ही उनसे 03 प्रतिशत सुरक्षित जमा ही ली गई। इसके अलावा संवेदक से शेष 05 प्रतिशत की राशि की कटौती सुरक्षित जमा के रूप में लेने के लिए उनके विपत्र से कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई थी। इस प्रकार संवेदक को अदेय सहायता पहुॅचाया गया।

सफल संवेदक श्री श्यामदेव सिंह (जय मातादी प्रा0लि0) को कार्यादेश दिनांक 06.06.12 (ज्ञापांक 53/न0प0) द्वारा निर्गत किया गया जिसके अनुसार कार्य को दिनांक 05.08.12 (दो महीना में) तक पूर्ण करना था लेकिन मापी पुस्तिका के अनुसार योजना दिनांक 26.09.12 अर्थात 53 दिन विलम्ब से पूर्ण हुआ। पी0डब्लू0डी0 रोड में दर्ज क्लाउज एफ–2 के अनुसार विलम्ब होने पर प्रतिदिन प्राक्कलन का आधा प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती की जानी थी। इस प्रकार प्राक्कलन रू. 498000.00 का दस प्रतिशत रू. 49800.00 की वसूली संवेदक से होनी चाहिए थी जो नहीं की गई।

इस प्रकार योजना के पूरे कार्यान्वयन संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में दिये गये दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाएगा। जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो सका।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

इस प्रकार इस योजना के कियान्वयन में किया गया व्यय रू. 447762 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17. अनियमित रूप से योजनाओं का कियान्वयन–रू.20.96 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसूची एक्स.एल.भी फॉर्म नं061 में वर्णित संवेदक एवं निविदा के सामान्य नियम इस प्रकार हैः–

(क) उपबंध–6ः–संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (बी0ओ0क्यु0) के साथ आवश्यक सभी कागजात स्वहस्ताक्षरित एवं निर्धारित अर्नेस्ट मनी यथा चालान, बैंक डिपोजिट, एन0ए0सी0 आदि के रूप में सलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(ख) उपबंध–7ः– सक्षम पदाधिकारी द्वारा सभी निविदाओं को खोलेगें और तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जाएगा जिसमें सभी संवदेक का नाम, निविदा की राषि आइिद का वर्णन होगा। तुलनात्मक विवरणी सषक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य एवं सक्षम पदाधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ग) उपबंध–9 और 10ः– सफलतम संवेदक से सभी आवश्यक कागजात एवं सुरक्षित जमा राषि (प्राक्कलन का 10 प्रतिशत) जमा करवाया जाएगा। सुरक्षित जमा राषि कम से कम प्राक्कलन का 05 प्रतिशत (जिसमें अर्नेस्ट मनी शामिल होगा) जमा किये बगैर निविदा की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(घ) सुरक्षित जमा करने के बाद निर्धारित प्रपत्र (एफ–2) में एकरारनामा किया जायेगा।

नगर पंचायत के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत के द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम का पालन किये बिना ही संवेदक की निविदा की स्वीकृति प्रदान कि गयी थी जिससे साफ स्पष्ट है कि उपर्युक्त नियम को नजरअंदाज कर संवेदक से बिना एकरारनामा के योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में इनका अनुपालन किया जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपर्यक्तवर्णित नियमों/उपबंधों के पालन किए बगैर इन योजनाओं पर किया गया व्यय रू. 2096424.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. अधिक भुगतान–रू.1.00 लाख

योजना सं0–14/11–12

मद– बी0आर0जी0एफ

योजना का नाम–वार्ड सं014 में पी0सी0सी0 कार्य

प्राक्कलन राशि–रू. 465800.00

(22

तकनीकी स्वीकृति–दिनांक 11.05.12, सहायक अभियंता

प्रषासनिक स्वीकृति– दर्ज नहीं

कार्यादेष निर्गतः– 53/न0प0–06.06.12

संवेदक – जय माता दी डेवलपर्स एण्ड इंजीकॉन प्रा0लि0

कनीय अभियंता– श्री रामचन्द्र प्रसाद

मापी पुस्तिका की राशि–465772.00

भुगतान की राशि–रू.465772.00 (सभी करों सहित)

संबंधित प्राक्कलन 474'x10'0" की लम्बाई में ईंट सोलिंग के उपर पी0सी0सी0 कार्य हेतु तैयार किया गया था जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता याजना एवं विकास विभाग पटना (दिनांक 11.05.12) को प्रदान की गई थी। प्राक्कलन में मिट्टी कार्य का उल्लेख नहीं था। सिर्फ ईंट सोलिंग कार्य के उपर पी0सी0सी0 कार्य का उल्लेख था।

अंकेक्षण आपत्ति

(क) विलोपित

(ख) 474 फीट की लम्बाई में पी0सी0सी0 कार्य हेतु प्राक्कलन किया गया था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 370 फीट लम्बाई में ही मिटटी एवं ईंट कार्य किया गया था। अतः इससे स्पष्ट होता हे कि निष्चित रूप से 370 फीट की लम्बाई में ही पी0सी0सी0 कार्य किया जा सकता है, जिसका मूल्य समानुपातिक रूप से रू.363600.00 (370 फीट X465800/474) ही होना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया था।

इस प्रकार प्राक्कलन से बढाकर मापी पुस्तिका में प्रविष्टि करने के कारण संवेदक को रू. 102172.00 (रू. 465772.00– 363600.00) का अधिक भुगतान किया गया, जो वसुलनीय है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से इस संदर्भ में पुछताछ की जायेगी।

अतः उपर्युक्त अधिक भुगतान की राशि रू.102172.00 की वसूली इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19. सी0एफ0एल0 भेपर लाइटों के कय एवं अधिष्ठापन में अनियमितता–रू. 8.98 लाख

नगर पंचायत, बिक्रम के अंतर्गत प्रकाश की व्यवस्था हेतु सी0एफ0एल0 भेपर लाईट खंभे तक फिटिंग सहित के लिए निविदा (निविदा सं01/11–12) आमंत्रित की गई थी जिसका विज्ञापन सहारा समाचार पत्र सहारा दिनांक 01.10.11 में प्रकाशित किया गया था।

संबंधित अभिलेख के नमूना जांच में पाया गया कि निविदा के जगह सामग्री की खरीददारी कोटेशन के आधार पर की गई खरीद में की गई सामग्री की विवरणी निम्न है–

क्र. सं.	विवरणी	समाग्री सं.	दर	राशि	आपूर्तिकर्ता
1	ऑरिमॉन 85 वाट आरफयुल हैवेलिस	270	1343.61	362774.70	
2	85 वाट टयुब हैलुनिक्स	270	682.81	184358.70	शिवा लाईटस चांदनी चौक मार्केट, फ्रेजर रोड, पटना इनवायस सं0.1 / 15.12.11
योग(1+2)				547133.40	
वैट			13.5 प्रतिशत	73863.01	
कुल योग				620996.41	
3	स्वीच, स्वीच बाक्स, तार, सी.एफ.एल ऐगिंल	270	720	194400.00	रवि इलेक्ट्रिक हाई स्कूल रोड बिक्रम रसीद सं0 90 / 05.12.11
वैट			4 प्रतिशत	7776.00	
योग				202176.00	
4	फिटिंग चार्ज	270	280	75600.00	
कुल (3+4)				277776.00	

इस प्रकार कुल 270 टीपर लाईटों पर रू. 898772.00 का व्यय किया गया।

भुगतान की विवरणीः–

क्रम सं0	चेक सं0 / दिनांक	राशि	आपूर्तिकर्ता
1	856414 / 05.11.11	620996.00	शिवा लाईटस चांदनी चौक, पटना
2	443505 / 08.12.11	277776.00	रवि इलेक्ट्रिक हाई स्कूल रोड बिक्रम
योग		898772.00	

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम 131 के अनुसार एक लाख से उपर के सामाग्री की आपूर्ति निविदा के माध्यम से की जानी चाहिए। नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत सी.एफ. एल लगाने हेतु निविदा का विज्ञापन भी समाचार पत्र (सहारा 01.10.11) में प्रकाशित किया गया। लेकिन वास्तविक खरीददारी कोटेशन के आधार पर की गई।
2. संचिका में संलग्न कमलेश इलेक्ट्रीकल स्टार, चांदनी चौक पटना के कोटशन (दिनांक 08.10.11) में जिस सी.एफ.एल सेल का मूल्य रू. 2300.00 अंकित था, उसी दुकान एवं उसी सामाग्री का कोटेशन दिनांक 11.06.13 में प्राप्त किया गया उसपर उसका दर रू. 1929.00 पाया गया। जबकि आपूर्तिकर्ता (शिवा लाईटस चांदनी चौक, पटना) से सामाग्री की आपूर्ति 2300.00 की दर से की गई।

120

पटना सोलर सिस्टम, बिहार सोलर सिस्टम एवं हर्ष सोलर सिस्टम के कोटेशन में दिनांक, हस्ताक्षर आदि नहीं थे इससे यही पता चलता है कि कोटेषन संदेहास्पद था।

3. बिहार वैट अधिनियम 2005 के अनुसार आपूर्तिकर्ता यदि फार्म सी.।।। जमा करते हैं तो वैट की राषि का भुगतान किया जा सकता है अन्यथा वैट की कटौती कार्यालय स्तर पर कर भुगतान किया जाना चाहिए था।

   निर्धारित फार्म जमा किये बगैर आपूर्तिकर्ता को वैट की राषि रू.81639.00 का भुगतान किया गया।

4. आपूर्तिकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया गया था। वारंटी/गारंटी कार्ड भी आपूर्तिकर्ता से नहीं लिया गया था जिसके अभाव में छः माह की गारंटी सुनिष्चित नहीं की जा सकी।
5. सी.एफ.एल के अधिष्ठापित स्थलों की सूची संचिका में संलग्न नहीं था इससे यह पता नहीं चल सका की किन– किन जगहों पर इसे लगाया गया था।
6. सामाग्री की गुणवत्ता संबंधित जांच किसी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई।
7. खरीदे गये सामाग्री का भण्डार पंजी मे इन्द्राज होना चाहिए था जो नहीं किया गया था।

   वर्तमान में इसकी भौतिक स्थिति के बारे क्या स्थिति है इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका।

   उपर्युक्त अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी नहीं रहने के कारण ऐसा हुआ आगे से ऐसा गलती नहीं किया जाएगा।

   अतः सी0एफ0एल पर किया गया अनियमित व्यय रू. 898772.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

20. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं– रू. 1.73 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ– 2 (अनुसूची एक्स एल वी.फॉर्म–61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिषत प्रति दिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिषत का प्रावधान है। आगे एफ–2 के उपबंध 5 के अनुसार संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की दृष्टि में संवेदक को कार्य समाप्ति के 40 दिन पूर्व कार्य विस्तार हेतु आवेदक देना होगा जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

नगर पंचायत, बिक्रम विभिन्न मदों से संबंधित पूर्ण योजनाओं अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के साथ किसी भी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया गया था। बिहार वित्तीय संशोधित नियमावली 2005 के नियम 30 के अनुसार जहॉ तक संभव हो निविदा में मानक फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। पी.डब्लू.डी. कोड के अरनुसार भी कार्य योजना में एकरारनामा फॉम एफ– 2 पर होना चाहिए था। सभी वर्णित योजनायें एक माह से तीन माह तक विलम्ब से पूरी की गई थी तथा कार्यादेश में 10 प्रतिशत प्रतिमाह विपत्र से कटौती करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन किसी भी योजनाओं में विलम्ब दंड की कटौती नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप रू. 173450.00 की विलम्ब दंड की कटौती कार्यालय द्वारा संवेदक के विपत्र से नहीं किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VI पर)

अंकेक्षण आपत्ति का नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में एफ– 2 फार्म पर संवेदक से एकरारनामा नहीं किया गया फलस्वरूप योजना कार्य दिये गये समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से विपत्र का 10 प्रतिशत विलम्ब दण्ड के रूप में नहीं की गई। इसके लिये प्रयास किया जायेगा तथा भविष्य में ख्याल रखा जाएगा।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः उपरोक्त राशि रू. 411620.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत के निधि में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

21. वैट की कम कटौती–रू.1.15 लाख

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 41 के अनुभाग 29 के अनुसार निविदा कार्य पर वैट की कटौती दिनांक 01.04.12 से पूर्व के 04 प्रतिशत से बढ.ाकर 05 प्रतिषत कर दिया गया है।

परंतु नगर पंचायत, बिक्रम के द्वारा वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान विभिन्न मदों के पूर्ण योजनाओं के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि नियमानुसार उक्त दरों पर न करके काफी कम पर कटौती की गई थी जिसके कारण वर्णित योजनाओं में वैट की राशि रू. 114903.00 की कम कटौती की गई थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–VII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि आवश्यक जांचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।

अतः वैट की कम की गई कटौती राशि रू. 114903.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से की जाय एवं संबंधित विभाग में जमा की जाय।

22. कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं– रू. 2.71 लाख

नगर पंचायत, बिक्रम के द्वारा कियान्वित विभिन्न योजना अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदक के विपत्र से वाणिज्य कर–रू. 92070.00, रॉयल्टी–रू. 51004.00 एवं आयकर– रू. 128031.00 की कटौती की गई थी तथा कटौती की गई राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कर देनी चाहिए थी लेकिन नगर पंचायत के द्वारा लेखापरीक्षा अवधि तक जमा नहीं की गयी थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि कटौती की गई राशि को शीघ्र संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जायेगा।

अतः इस प्रकार कुल कटौती की गई राशि रू. 271105.00 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

23. श्रम उपकर की कटौती नहीं– रू. 0.52 लाख

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' के तदनानुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 –302/2006, श्र0नि0 –865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। जो वर्ष 2007–08 से ली गई योजनाओं पर लागु होगा। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर राशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से सचिव बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।
निर्धारित अवधि मे सेस जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सेस 2 प्रतिशत की दर से तथा उस पर सुद 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय होगा तथा साथ ही सेस भुगतान के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी द्वारा सेस जमा नहीं करने पर अर्थदंड के साथ– साथ कारावास का प्रावधान है।
परन्तु नगर पंचायत, बिक्रम के वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक के विभिन्न मदों के पूर्ण योजनाओं के अभिलेखों, योजना पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में कुल 17 पूर्ण योजनाओं पर नगर पंचायत के द्वारा विपत्रों से रू. 52037.00 श्रम सेस की कटौती नहीं की गई थी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– IX पर)

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि जानकारी के अभाव में श्रम उपकर की कटौती नहीं की जा सकी आगे की योजना में कटौती की जायेगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है।

अतः श्रम उपकर की नहीं की गई कटौती राशि रू. 52037.00 की वसुली इसके जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

24. दैनिक मजदूरी पर अनियमित व्यय– रू. 0.21 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 682 दिनांक 21.02.08 एवं 1231 दिनांक 06.05.1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी पर मजदूर/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा इस पत्रानुसार स्वच्छता कार्य बाहय स्त्रोत से कराने एवं इसके लिए निविदा आमंत्रण करना आवष्यक किया गया है।

लेकिन नगर पंचायत के आंतरिक संसाधन रोकड़ बही एवं अभिश्रवों के नमूना जांच में पाया गया कि नगर पंचायत के द्वारा वर्ष 2010–11 में दैनिक मजदूरी पर कुल रू. 21060.00 का व्यय किया गया था। जो अनियमित था, निम्न हैः–

अभिश्रव सं0	भुगतान राशि	अभिश्रव सं0	भुगतान राशि
13/10–11	972.00	23/10–11	864.00
14/10–11	2160.00	24/10–11	864.00
15/10–11	540.00	25/10–11	864.00
16/10–11	540.00	26/10–11	864.00
17/10–11	864.00	27/10–11	864.00
18/10–11	864.00	28/10–11	864.00
19/10–11	864.00	29/10–11	864.00
20/10–11	864.00	30/10–11	864.00
21/10–11	864.00	33/10–11	4752.00
22/10–11	864.00	योग	11664.00
योग	9396.00		

कुल योगः– रू. 9396.00 +11664.00 =रू. 21060.00

इस प्रकार सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्ध दैनिक मजदूरी पर रू. 21060.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

आंतरिक संसाधन रोकड. बही वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए संधारित नहीं था और न ही अभिश्रव गार्ड फाइल में संलग्न था। लेखापरीक्षा द्वारा बार बार मौखिक व लिखित अनुरोध किए जाने के बावजूद अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलत वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का दैनिक मजदूरी पर किए गए व्यय को लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

116

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर पंचायत के द्वारा जवाब दिया गया कि सफाईकर्मियों की नियमित बहाली नहीं होने के कारण दैनिक मजदूरों को सफाई कार्य में लगाया गया।

उपरोक्त जवाब को संतोषप्रद नहीं है।

अतः सरकार से इस संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने तक दैनिक मजदूरी पर किया गया व्यय रू. 21060.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है तथा साथ ही आंतरिक संसाधन रोकड़ बही को वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में संधारित करने के साथ– 2 अभिश्रवों को अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

25. कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान एंव लेखापरीक्षा के समाप्ति पर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यकापाल पदाधिकारी से वार्तालाप की गयी।

26. लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :–

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	शुन्य
2	वसूली के लिए सुझायी गयी राशि	रू. 76835.00
3	लेखापरीक्षा के अधीन रखी गयी राशि	रू. 5371732.00
4	अधिभार के अधिन वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	शुन्य

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– X पर)

27. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार अपेक्षित है। प्रमुख अभिलेख जैसे :– माँग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, आंतरिक संसाधन रोकड़ बही वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 इत्यादि संधारित नहीं थे। सहायक रोकड़ बहियों का संधारण उचित रूप से नहीं की जा रही थी। परिषद् के विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों की देख –रेख तथा परिषद् कोष में उनका जमा पर पदाधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सभी कंडिकाओं का अनुपालन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

–हस्ता0–
(नीरज कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
———सह———
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

114

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14417 , दिनांकः— 19/06/14

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं / आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

-ह0 -

वरीय लेखापरीक्षा अधि.
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14417/1777 दिनांकः— 19/06/14

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः—

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधि.
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना